



उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ

क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून- 248012

E-Mail- cmhesodhpvojna@gmail.com

पत्रांक: 276 / 53(मु0उ0शो0प0प्र0प्रो0यो0) / 2024-25

दिनांक: 01 फरवरी, 2025

सेवा में,

1. कुलसचिव

समस्त राज्य वि0वि0

उत्तराखण्ड।

2. प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त राजकीय (स्नातक/स्नातकोत्तर) महाविद्यालय

उत्तराखण्ड।

विषय : 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना' हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश सं0 270539/XXIV-C-2/2025/03(2)2024 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के अनुपालन में 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना-2024' के अन्तर्गत शासनादेश में वर्णित शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होने पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु नियमित प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन किया जाना है।

इस योजना हेतु नियमित प्राध्यापकों द्वारा अपने समर्थ प्रोफाइल (Employee-Research Publication) में शोध पत्र का विवरण भरकर उसे एडमिन से Verify कराना अनिवार्य है। शासनादेश में वर्णित शोध पत्रिकाओं (ABDC/Scopus/SCI/WoS Indexed Journals) में 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक प्रकाशित शोध पत्रों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न Google Form (प्रत्येक शोध पत्र हेतु अलग गूगल फॉर्म) में भी भरना अनिवार्य है। Google Form से प्राप्त शोध पत्रों के विवरण को प्राध्यापक के समर्थ पोर्टल पर दर्ज प्रोफाइल से Validate किया जायेगा।

अतः निवेदन है कि अपने संस्थान में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों को 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना' हेतु पात्र शोध पत्रों का विवरण उनकी समर्थ आईडी0 तथा संलग्न Google Form में दिनांक 11 फरवरी 2025 तक अनिवार्यतः भरने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि।

Google Form Link - <https://forms.gle/Pk6TiBrhZC52fUneA>

भवदीय


(प्रो0 प्रमोद कुमार)
नोडल अधिकारी

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना

पृ0सं0276(1)/53(मु0उ0शो0प0प्र0प्रो0यो0) / 2024-25, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. नोडल अधिकारी, पी0एम0यू0, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।


(प्रो0 प्रमोद कुमार)
नोडल अधिकारी

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना

संख्या: 270539/XXIV-C-2/2025/03(02)2024-Efile No. 77000

प्रेषक,

डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्याधीन विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।
2. निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 29 जनवरी, 2025

विषय: उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024" के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के समस्त विषयों के नियमित प्राध्यापकों को अपने शोध कार्यों को उच्च गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024" तत्काल प्रभावी होगी।
2. विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार एवं योजना की समीक्षा उपरान्त संस्थानों को इस योजना के दायरे में जोड़ने या बाहर करने पर विचार किया जा सकता है।
3. प्राध्यापकों हेतु पात्रता मापदण्ड:-
 - i. एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में सूचीबद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन होने पर प्राध्यापक इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे। प्राध्यापकों को शोध प्रकाशन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ए स्टार (A*), ए (A), बी(B) तथा सी(C) ग्रेड अनुसार श्रेणीबद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन के आधार पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया जाएगा।
(<https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/>)
 - ii. प्राध्यापकों द्वारा स्कोपस इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन

किए जाने पर इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
(<https://www.scopus.com>)

iii. प्राध्यापकों द्वारा एस0सी0आई (SCI) इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन किए जाने पर इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
(<https://listofjournals.com/sci.php>)

iv. प्राध्यापकों द्वारा वेब ऑफ साइंस (WoS) इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन किए जाने पर इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
(<https://wosjournal.com/>)

4. प्रोत्साहन पुरस्कार:- प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में होने अथवा उपरोक्त वर्णित श्रेणी के इण्डेक्स शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर निम्नानुसार मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा-

i. एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में ए स्टार (A*) अथवा ए (A) श्रेणी तथा स्कोपस इण्डेक्स, एस0सी0आई (SCI) इण्डेक्स एवं वेब ऑफ साइंस (WoS) इण्डेक्स के 5 अथवा अधिक इम्पैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर प्रत्येक शोध पत्र के लिए ₹10,000.00 मात्र (₹ दस हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

ii. एबीडीसी (आस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल) क्वालिटी लिस्ट में बी(B) तथा स्कोपस इण्डेक्स, एस0सी0आई (SCI) इण्डेक्स एवं वेब ऑफ साइंस (WoS) इण्डेक्स के 5 से कम इम्पैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने पर प्रत्येक शोध पत्र के लिए ₹5,000.00 मात्र (₹ पाँच हजार मात्र) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

iii. उपरोक्त शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र में एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में उसी अनुपात में शोध प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा।

5. इस योजना अंतर्गत पात्र प्राध्यापकों द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में आवेदन की अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु एक बार शोध पत्र पुरस्कार हेतु आवेदन के पश्चात् पुनः उसी शोध पत्र के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। शोध पत्र पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु प्राध्यापक को प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

6. "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत देय पुरस्कार राशि प्राध्यापकों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार राशि होगी जो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा तथा उक्त राशि पर नियमानुसार कर देय होगा।

7. प्राध्यापकों को उक्त प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

2- "मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, 2024" हेतु वित्तीय प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के अन्तर्गत अनुदान सं0 11 के

लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज एवं संस्थान-28-मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना-42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या 1/266611/2025, दिनांक 07 जनवरी, 2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Ranjit Kumar Sinha

Date: 26-01-2025 18:30:27

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव।

संख्या: 270539/XXIV-C-2/2025/03(02)2024-Efile No. 77000 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त कुल सचिव, राज्याधीन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
- 10- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 11- वित्त अनु0-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 13- अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
- 14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Deepak Kumar

Date: 29-01-2025 (12:41:09)

अनु सचिव।